लोक सभा में 28 फरवरी, 2001
को पुरःस्थापित रूप में

2001 का विधेयक संख्यांक 17

[दि फाइनेंस बिल, 2001 का हिंदी अनुवाद]

वित्त विधेयक, 2001

**वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए केन्द्रीय सरकार
की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी
करने के लिए
विधेयक**

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वित्त अधिनियम, 2001 है।

(2) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, धारा 2 से धारा 95, 1 अप्रैल, 2001 को प्रवृत्त हुई समझी जाएंगी।